औषधि नियंत्रण संगठन

राजस्थान राज्य में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं इसके अन्तर्गत बनी नियमावली 1945 के तहत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के आयात, निर्माण, वितरण एवं बिक्री को नियमित करने के लिए केन्द्रीय अधिनियम/नियमावली के समस्त प्रावधान लागू है। ये प्रावधान राज्य में 16 जुलाई, 1959 से लागू है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए राज्य में 2 औषधि नियंत्रक, 35 सहायक औषधि नियंत्रक, 115 औषधि नियंत्रण अधिकारी के पद सृजित किये गये हैं। राज्य में अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ''औषधि नियत्रंण संगठन'' चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन स्थापित है।

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित, प्रभावी एवं मानक स्तर की औषधियॉ एवं मेडिकल डिवाईसेज जैसे – कन्डोम, टयूबल रिंग, डिस्पोजेबल सिंरीज आदि, सौन्दर्य प्रसाधन प्रसाधन सामग्री, सुरक्षित रक्त एवं रक्त कम्पोनेन्ट इत्यादि उचित मूल्य पर सुलभ कराना है।

नकली एवं अवमानक कोटि की औषधियों पर नियंत्रण

नकली दवाओं की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त 'समिति' गठित है। राज्य में नकली दवाओं पर निगरानी व रोकथाम हेतु मुख्यालय पर एक प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है जिसका प्रभारी सहायक औषधि नियंत्रक को बनाया गया है। यह प्रकोष्ठ पूरे राज्य में निगरानी का कार्य करता है। सभी जिलों में औषधि नियंत्रण अधिकारी कार्यरत हैं जो संदेह/शिकायत या स्वविवेक के अनुसार संभावित अवमानक औषधियों के नमूने लेकर नियमित जाँच करवाते है। अवमानक घोषित औषधियों पर तुरन्त रोक लगाकर राज्य में निर्माता के

विरुद्व कार्यवाही की जाती हैं। राज्य से बाहर स्थिति औषधि निर्माता के मामलों में उस राज्य के औषधि नियंत्रक को कार्यवाही हेतु भेजा जाता है। गंभीर रुप से अवमानक घोषित औषधियों के प्रकरणों में दोषी निर्माता/विक्रेता एवं व्यक्तियों के विरुद्व सक्षम न्यायालयों में विभागीय अधिकारियों द्वारा इस्तगासे प्रस्तुत किये जाते हैं।

उपभोक्ता को सही दवा का वितरण

औषधि नियंत्रण अधिकारियों द्वारा दवा विक्रेताओं की नियमित जाँच की जाती हैं, जिन दुकानों पर फार्मासिस्ट अनुपस्थित पाये जाते है अथवा अन्य अनियमितितायें जैसे फिजिशियन सेम्पल/मियाद बाहर दवायें मिलना/ विक्रय बिल जारी नहीं करना, क्रय बिल नहीं रखना इत्यादि पाया जाता हैं, उनके लाईसेंस निरस्त/ निलम्बित किये जाते हैं। औषधियाँ फार्मासिस्ट की देख–रेख में ही बेची जाने की सुनिश्चितता हेतु विभाग द्वारा नियमित एवं शिकायतों के आधार पर किये गये निरीक्षणों में अनुस्थित मिलने पर एवं अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंधन किये जाने पर कार्यवाही हेतु संबंधित लाईसेंसिंग आथोरिटी पूर्णतः अधिकृत है।

रक्त बैंक एवं रक्त भण्डारण केन्द्र

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के तहत राज्य में रक्त एवं रक्त–घटक के वितरण हेतु कई रक्त–बैंक कार्यरत हैं जिनमें राजकीय संस्थानों के अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट भी शामिल हैं। इनके द्वारा निर्धारित रक्त के परीक्षण करने के बाद ही रक्त/रक्त–घटक वितरित किये जाते हैं, ताकि सुरक्षित रक्त/रक्त–घटक उपलब्ध हो सकें। राज्य में रक्त भण्डारण हेतु भी रक्त भण्डारण केन्द्र है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सृजित औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा औषधि अनुसूची "प्रथम" में उल्लेखित औषधियों का मूल्य निर्धारण किया गया है। विभिन्न औषधियों के लिए नेशनल फार्मास्युटिकल प्राईसिंग ऑथोरिटी द्वारा मूल्य उक्त आदेश के तहत समय–समय पर निर्धारित किये जाते है जो उनकी वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध हैं। विभाग द्वारा अपनी वेबसाईट पर NPPA द्वारा माह अप्रेल, 2015 को जारी Compandium को प्रदर्शित किया गया हैं।

प्रतिबंधित दवायें

केन्द्र सरकार को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26 ए के तहत औषधियों को प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्राप्त हैं। अधिनियम के तहत समय–समय पर प्रतिबन्धित की गई औषधियों की सूची Central Drugs Standard Control Organisation की वेबसाइट www.cdsco.nic.in पर उपलब्ध है तथा विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।